

इंडसइंड बैंक – आपका वित्तीय भागीदार

इंडसइंड बैंक ने उत्कृष्टता का अनुसरण करते हुए, दीर्घकालिक संबंध बनाकर, नवोन्मेष समाधान प्रदान करके और अद्वितीय अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर लाखों मांग करने वाले ग्राहकों को सफलतापूर्वक सशक्त बनाया है।

अधिक जानकारी के लिए



कृपया हमारी बैंक शाखाओं में जाएं



हमारे 24 घंटे फोन बैंकिंग को 1860 267 7777 पर फोन करें



www.indusind.com – पर लाग ऑन करें



@ हमें premium.care@indusind.com – पर ई-मेल करें

टिप्पणी: कथित दस्तावेज इंडसइंड बैंक का विषय है और उसके पूर्ण विवेक पर है।

नियम एवं शर्तें लागू

इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड्स

अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)और यहां दी गई सभी जानकारी सभी क्रेडिट कार्डों/कार्डधारकों/क्रेडिट कार्ड के आवेदकों/बैंक के ग्राहकों/बैंक के क्रेडिट कार्ड उत्पाद में रुचि दिखाने वाली सामान्य आम जनता के सदस्यों पर तत्काल प्रभाव से लागू होती हैं। एमआईटीसी परिवर्तन के अधीन हैं। उक्त एमआईटीसी बैंक के कार्डधारक करार के नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं और इन्हें उनके साथ पढ़ा जाना है।

शुल्क एवं प्रभार

प्रभार-शुल्क	ज्वाइन करने का शुल्क	वार्षिक शुल्क	ऐड-ऑनकार्ड शुल्क
शुल्क*			
प्लैटिनम औरा	₹500	शून्य	शून्य
प्लैटिनम औरा एज	₹500	शून्य	शून्य
प्लैटिनम सेलेक्ट	₹999	शून्य	शून्य
प्लैटिनम	₹3000	शून्य	शून्य
आइकोनिया	₹3500	शून्य	शून्य
डुओ	₹249	शून्य	शून्य
लीजेंड	₹9999	शून्य	शून्य
पिनैकल	₹12999	शून्य	शून्य
इंटरमाइल्स इंडसइंड बैंक ओडिसी क्रेडिट कार्ड	₹10000	₹4000	शून्य
इंटरमाइल्स इंडसइंड बैंक वायेज क्रेडिट कार्ड	₹2000	₹2000	शून्य

अन्य वित्तीय प्रभार

ब्याज प्रभार	मासिक दर	वार्षिक दर
प्लैटिनम औरा, प्लैटिनम औरा एज, प्लैटिनम सेलेक्ट, प्लैटिनम के लिए (15 दिसंबर, 2022 से लागू)	3.95%	47.40%
अन्य कार्डों के लिए	3.83%	46%
ब्याज-मुक्त अवधि	50 दिनों तक; यदि कुल देय रकम का पूरा भुगतान नहीं किया गया है तो ब्याज-मुक्त अवधि लागू नहीं होगी	
विलंब भुगतान प्रभार	बकाया शेष (30 सितंबर, 2020 तक)	बकाया शेष (1 अक्टूबर, 2020 से लागू)
	₹100 तक	₹100 शून्य
	₹101– ₹500	₹101– ₹500 के बीच
	₹501– ₹1000	₹501– ₹1,000 के बीच
	₹1001– ₹10,000	₹1001– ₹10,000 के बीच
	₹10,000 से अधिक	₹10,001– ₹25,000 के बीच
		₹25,001– ₹50,000 के बीच
		₹50,000 के बीच
– शून्य	– ₹100	– ₹100
– ₹350	– ₹350	– ₹350
– ₹550	– ₹550	– ₹550
– ₹800	– ₹700	– ₹800
– ₹1100		– ₹1100
– ₹1300		– ₹1300
ओवर लिमिट प्रभार	₹500 ओवर लिमिट रकम का 2.5%, न्यूनतम 500 रु. के अधीन	
वापस किए गए चेक	₹250	
बाहरी चेक प्रसंस्करण शुल्क	कृपया नोट करें कि बाहरी चेक केवल इंडसइंड बैंक लोकेशंस से ही स्वीकार किए जा सकते हैं	
नकदी अग्रिम प्रभार	अग्रिम रकम का 2.5%, न्यूनतम ₹ 300 के अधीन (लीजेंड क्रेडिट कार्ड के लिए छूट)	
गैर-इंडसइंड बैंक एटीएमों पर शेष संबंधी पूछताछ प्रभार	₹25	
एटीएमों पर मशीन अधिभार	ग्राहक को लागू दरों पर दिया जाता है	
विदेशी मुद्रा मार्क-अप	सभी क्रेडिट कार्डों पर 3.5%*	
	*इंडसइंड बैंक लीजेंड क्रेडिट कार्ड– 1.8% (जीएसटी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित चालू दर पर लागू)	

अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा परिवर्तित विदेशी प्रभारों के लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस परिवर्तित रकम पर 3.5% का संपरिवर्तन कारक लागू करता है, जिसमें से 1.5% अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा रखा जाएगा, या हमारे द्वारा निर्धारित और आपको अधिसूचित ऐसी अन्य दर। अमेरिकी डॉलरों के अलावा किसी अन्य विदेशी मुद्रा में लगाया जाने वाला प्रभार, जब संपरिवर्तन अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा किया जाता है, तो आपकी बिलिंग मुद्रा में परिवर्तित होने से पहले यूएस डॉलर में परिवर्तित हो जाएगा।

रेल्वे बुकिंग अधिभार	यथा लागू
बचत प्लान परिवर्तन (इंडसइंड बैंक प्लैटिनम औरा, प्लैटिनम और एज क्रेडिट कार्ड और इंडसइंड बैंक गोल्ड क्रेडिट कार्ड के लिए)	₹ 250
ईंधन अधिभार (न्यूनतम ₹.10 के अधीन)	1% (₹400 - ₹4000 के बीच लेनदेनों के लिए छूट); (ईंधन अधिभार पर जीएसटी मानक दर के अनुसार लागू होगी और ग्राहक द्वारा वहन की जाएगी)
इंडसइंड बैंक की शाखा पर नकदी भुगतान शुल्क	₹ 100
जीएसटी	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित वर्तमान दर पर
डुप्लिकेट भौतिक विवरण अनुरोध	₹100 प्रति विवरण (पिछले 3 महीने के परे)
पुनः जारी करना/प्रतिस्थापन	₹ 100
प्रभार पर्ची अनुरोध	₹ 300
प्राथमिकता पास लाउंज	27 अमरीकी डालर तक प्रति व्यक्ति प्रति दौरा
रिवॉर्ड्स रिडेम्पशन फीस 1 नवंबर 2020 से प्रभावी तौर पर	₹ 100

*ग्राहकों को लागू प्रभार/शुल्क लागू होने के समय सूचित किए जाएंगे।

ये शुल्क ग्राहक के पहले मासिक बिल में लगाए जाएंगे। प्रभार बैंक के पूर्ण विवेक पर समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं। ऐसे प्रभार, यदि कोई हों, ग्राहक को पूर्व सूचना के साथ सूचित किए जाएंगे।

विवरण चक्र: प्रत्येक महीने की 25 तारीख		
प्रकार	लेनदेन लागत	रकम
शॉपर्स स्टॉप	14-जन.-11	₹10,000
भुगतान प्राप्त	10-फर.-11	₹7,000

ब्याज की गणना के लिए उदाहरण: यदि 10,000 रु. का पूरा भुगतान, भुगतान की नियत तारीख तक कर दिया जाता है तो कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। उपर्युक्त उदाहरण में दिनांक 25-फरवरी-11 के विवरण में ब्याज निम्नानुसार प्रभारित किया जाएगा।

प्रकार	लेनदेन की तारीख	बकाया शेष	तारीख तक	दिन	ब्याज दर	ब्याज
शॉपर्स स्टॉप	14-जन.-11	₹10000	25-जन.-11	11	3.83% प्रति माह/ 46% प्रति वर्ष	138.63 (11/365 दिन* 46% * ₹10,000)
25-जन-11 को प्रारंभिक शेष		₹10000	10-फर.-11	16	3.83% प्रति माह/ 46% प्रति वर्ष	201.64 (16/365 दिन* 46% * ₹10,000)
10-फर-11 को ₹7,000 का भुगतान	10-फर.-11	₹3000	25-फर.-11	15	3.83% प्रति माह/ 46% प्रति वर्ष	56.71 (15/365 दिन* 46% * ₹3,000)
देय कुल ब्याज						₹396.98

कृपया नोट करें कि उपर्युक्त उदाहरण में ब्याज की गणना 3.83% प्रति माह पर की गई है।

ब्याज की गणना कार्डधारक के वर्तमान बकाया शेष के आधार पर दैनिक आधार पर की जाती है। यदि नियत तारीख तक कुल देय रकम का भुगतान नहीं किया जाता है तो ब्याज लगाया जाता है। उपार्जित ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है। साथ ही, सभी नकदी अग्रिमों पर लेन-देन की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज लगाया जाएगा। प्रारंभ में 3.83% प्रति माह (46% प्रति वर्ष) की ब्याज दर लागू होगी। बैंक अपने पूर्ण विवेकपरग्राहक के इतिवृत्त, खरीद के स्वरूप, भुगतान व्यवहार, निष्ठा औरजुड़ाव की अवधिजैसे कारकों, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, के आधार पर ब्याज दर परिवर्तित कर सकता है। ब्याज प्रभार गतिशील हैं और इंडसइंड बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

ऋण एवं नकदी आहरण सीमाएँ

- ऋण सीमा: यह कार्डधारक को दी गई अधिकतम सीमा है। आपका कुल बकाया सभी लेनदेनों, शुल्क और प्रभारों को मिलाकर इस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
- नकदी सीमा: यह कार्डधारक को दी गई अधिकतम नकदी अग्रिम सीमा है। यह सीमा ऋण सीमा से कम है और समग्र ऋण सीमा काउप समुच्चय (सब-सेट) है।
- उपलब्ध ऋण सीमा: किसी भी समय उपलब्ध ऋण सीमा उस समय कार्ड पर दी गई ऋण सीमा और बकाया रकम के बीच का अंतर है।
- उपलब्ध नकदी सीमा: किसी भी समय उपलब्ध नकदी सीमा उस समय कार्ड पर दी गई नकदी सीमा और बकाया नकदी शेष के बीच का अंतर है।
- ऋण और नकदी सीमाप्रत्येक कार्डधारक के लिए अलग-अलग होगी और कार्डधारक को भेजे गए मासिक विवरण में प्रकट की जाएगी।

बिलिंग एवं विवरण

- बैंक प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए, जिसके दौरान कार्ड खाते पर कोई लेन-देन किया गया है/भुगतान किया गया है या कोई रकम बकाया है, बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट सुपर्दग्दी साधन के माध्यम से कार्डधारक को मासिक विवरण, ई-मेल और/या भौतिक, भेजेगा।
- विवरण प्राप्त न होने से इस करार के अधीन कार्डधारक के दायित्वों और देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह भुगतान की देय तारीख से पहले कम से कम न्यूनतम देय राशि का निपटान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।
- देय न्यूनतम राशि की गणना कुल देय राशि या ऐसी ही अन्य राशि के 5% के रूप में की जाती है जैसा कि इंडसइंड बैंक द्वारा उसकी इच्छा के अधीन निर्धारित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि हर महीने केवल न्यूनतम भुगतान करने से लेनदेन के दिनांक से ही सभी क्रमिक लेनदेनों पर ब्याज लगाया जाएगा और साथ ही एक अवधि के दौरान चुकौती में भी आपके बकाया शेष पर ब्याज का भुगतान होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने न्यूनतम देय राशि का भुगतान करते हैं (न्यूनतम राशि देय कम से कम ₹.500) तो 3.83% प्र.म. पर आपको ₹.10,000 की आरंभिक खरीदारी चुकाने के लिए 38 महीने लगेंगे।
- कार्डधारक सहमत है कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने विवरण की बिलिंग तारीख के 15 दिन के भीतर अपने मासिक विवरण की गैर-प्राप्त या विसंगति के मामले में बैंक को सूचित करे। यदि कार्डधारक ऐसी किसी घटना के बारे में बैंक को सूचित नहीं करता है तो विवरण को सुपुर्द किया गया और निर्णयिक माना जाएगा।

- यदि न्यूनतम देय राशि (स्टीक राशि जिसमें दशमलव, यदि हो शामिल है) भुगतान के नियत दिनांक पर या से पहले अदा नहीं की जाती है तो विलंब भुगतान शुल्क लगाए जाएंगे। विलंब भुगतान शुल्क भुगतान नहीं किए जाने या न्यूनतम देय राशि से कम भुगतान करने के मामले में भी लगाए जाएंगे।

भुगतान कैसे करें?

सभी भुगतान केवल भारतीय रूपये में किए जाने हैं। कार्डधारक को बैंक को भुगतान करने के केवल निम्नलिखित तरीकों का लाभ मिलता है:

- किसी भी बैंक खाते से भुगतान करने के लिए www.indusind.com पर स्विफ्ट पे विकल्प का उपयोग करना
- एन-ईफटी/आरटीजीएस/वीज़ा मनी अंतरण सुविधा का उपयोग करके गैर-इंडसइंड बैंक खाते से ऑनलाइन निधि अंतरण
- इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर XXXXXXXXXXXXXXXXX के पक्ष में चेक/ड्राफ्ट इंडसइंड बैंक की शाखाओं/एटीएमों में जमा किया गया। आपको सलाह दी जाती है कि भुगतान की नियततारीख से कम से कम 4 कार्यदिवस पूर्व चेक डाल दें ताकि आपके कार्ड खाते में समय पर जमा सुनिश्चित हो सके और दंडात्मक प्रभार लगाने से बचा जा सके। कृपया चेक के पीछे अपने मोबाइल नंबर का उल्लेख करें, हम आपका चेक प्राप्त होने पर आपको एक एसएमएस भेजेंगे।
- इंडसइंड बैंक की शाखाओं में नकदी जमा।
- अपने इंडसइंड बैंक खाते पर स्वतः भुगतान सुविधा या अपने गैर-इंडसइंड बैंक खाते पर एन-ईसीएच सुविधा के माध्यम से सक्रिय करके। अधिक जानकारी के लिए फोन बैंकिंग से संपर्क करें। कार्ड के बाकाए के समक्ष प्राप्त भुगतान को उसी क्रम में सभी समान मासिक किस्तों, करों, शुल्कों, अन्य प्रभारों, ब्याज प्रभारों, नकदी अग्रिम और खरीद के समक्ष समायोजित किया जाएगा।

संपर्क माध्यम

- कार्डधारक किसी भी पूछताछ और/या मामलों के निवारण के लिए निम्नलिखित संचार माध्यमों में से किसी भी माध्यम से बैंक से संपर्क कर सकता है।
 - 24 घंटे फोन बैंकिंग नंबर: 18602677777
 - ईमेल: premium.care@indusind.com

- बैंक के क्रेडिट कार्ड यूनिट को इस पते पर लिखकर: इंडसइंड बैंक लि. (क्रेडिट कार्ड डिवीजन), पीओ बॉक्स 9421, चकाला, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093.
 - अनसुलझी शिकायतों के लिए, कृपया इस पते लिखें: हेड कार्ड सर्विसेज, इंडसइंड बैंक लि. (क्रेडिट कार्ड डिवीजन), पीओ बॉक्स 9421, चकाला, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093 या ईमेल: cardservices@indusind.com
- यदि आपको 7 दिन के भीतर हेड कार्ड सेवाओं से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो आप इस पते पर लिख सकते हैं: इंडसइंड बैंक लि., 701, सॉलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क, 167, गुरु हरगोविंदजी मार्ग, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093
ई-मेल: nodal.officer@indusind.com
- कृपया हमारे साथ अपने सभी पत्राचारों में अपना इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर उद्धृत करें।

चूक

- चूक की स्थिति में, कार्डधारक को क्रेडिट कार्ड खाते पर किसी भी बकाए के निपटान के लिए इंडसइंड बैंक द्वारा नियुक्त अन्य पक्षों सहित इंडसइंड बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा डाक, फैक्स, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एसएमएस संदेश भेजने और/या याद दिलाने, अनुवर्ती कार्रवाईकरने और बकाया रकम वसूल करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करकेसमय-समय पर अनुस्मारक भेजे जाएंगे। इस प्रकार नियुक्त कोई भी अन्य पक्ष, समय-समय पर लागू ऋण वसूल करनेसंबंधी आचार-संहिता का पालन करेगा।

यदि कार्डधारक चूक की घटना को अंजाम देता है तो बैंक अपने पूर्ण विवेकपर निम्नलिखित का हकदार होगा:

- कार्डधारक को दी गई सभी क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को वापस लेना।
- कार्डधारक को कार्ड पर सभी बकाया शेष का तत्काल भुगतान करने के लिए कहना।
- बैंक के पास कार्डधारक के नाम पर रखे गए किसी भी धन/जमाराशियों/खातों के समक्ष बकाया रकम के ग्रहणाधिकार और समंजित करने के बैंक के अधिकार का प्रयोग करना।
- बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले वैध तरीके से सभी बकाया की वसूली हेतु ग्रहणाधिकार/समंजन के किसी भी अधिकार से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना।
- कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना और गोपनीयता के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी प्राधिकरण, क्रेडिट ब्यूरो या किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय / व्यक्ति को कार्डधारक की पहचान और यह तथ्य कि कार्डधारक ने चूक की घटना को अंजाम दिया है, प्रकट करना।

बैंक अपने पूर्ण विवेकपर जारी किसी भी चूक रिपोर्ट को वापस लेने का हकदार होगा, यदि:

- विचाराधीन चूककर्ता ने बैंक के साथ अपने पूरे बकाए का भुगतान कर दिया हो या बैंक के साथ अपनी बकाया रकम का निपटान कर दिया हो।
- न्यायालय का निर्णय प्राप्त हुआ हो जिसमें बैंक द्वारा या बैंक के खिलाफ दायर कानूनी मुकदमे में बैंक के खिलाफ कार्डधारक को सूची से निकालने का निर्देश दिया गया हो। निर्णय व्यक्तिगत समीक्षाओं के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर लिए जाते हैं।
- कार्डधारक की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में, इंडसइंड बैंककिसी भी लागू बीमा कवर से या कार्डधारक के वारिसों / निष्पादकों / प्रशासकों से कार्ड के बकाए की वसूली सहित किसी भी कार्ड खाते (खातों) के बकाए की वसूली करने हेतु अपने पूर्ण विवेक परकानून और साम्या के तहत उपलब्ध सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कार्डधारिता का समाप्ति/निरसन

- कार्डधारक लिखित अनुरोध के माध्यम से किसी भी समय इस करार का समाप्त कर सकता है या इंडसइंड बैंक फोन बैंकिंग को क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाओं और लाभों के निरसन के लिए अनुरोध कर सकता है।
- समाप्ति तभी प्रभावी होगी जब बैंक को क्रेडिट कार्ड खाते के संबंध में बकाया सभी रकम का भुगतान प्राप्त हो जाएगा।
- बैंक अपने पूर्ण विवेक पर इस संबंध में कोई सूचना दिए बिना किसी भी समय क्रेडिट कार्ड सुविधा को तत्काल समाप्त कर सकता है या किसी भी समय इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है। जहां बैंक क्रेडिट कार्ड सुविधा को समाप्त कर देता है, कार्ड खाते पर बकाया सभी रकम (अभी तक नाम न किए गए प्रभारों या नकदी अग्रिमों सहित) तत्काल प्राप्त और शोध्य हो जाएगी। ऐसे मामले में, बैंक के पास कार्डधारक का स्पष्ट अधिकार है कि वह बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार क्रेडिट कार्ड/पिन के उपयोग से किए गए सभी आहरणों/अंतरणों के लिए कार्ड खातों को नामे कर सकता है, जो निर्णायिक और बाध्यकारी होगा।
- यदि कार्डधारक(कों) के क्रेडिट कार्ड का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है या 90 दिनों से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसके सभी लाभ वापस लिए जा सकते हैं। ऐसे कार्डधारक(कों) को इस प्रकार की वापसी की पूर्व सूचना दी जाएगी।

कार्ड का खो जाना/चोरी हो जाना

- कार्ड की सुरक्षा के लिए कार्डधारक जिम्मेदार है और इसका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा।
- कार्डधारक कार्ड के खो जाने पर तत्काल 24 घंटे फोन बैंकिंग नंबर पर फोन करके, इंडसमोबाइल/इंडसनेट/आईवीआर के माध्यम से या अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 5676757 पर ब्लॉक <क्रेडिट कार्ड नंबर के अंतिम 4> अंक एसएमएस भेजकर बैंक को कार्ड के खो जाने की सूचना देगा। दुरुपयोग रोकने के लिए बैंक कार्ड को तुरंत निष्क्रिय करने का प्रयास करेगा। कार्डधारक को स्थानीय पुलिस के पास आवश्यक रूप से प्राथमिकी ('एफआईआर') दर्ज करनी होगी। कार्डधारक को बैंक को एक लिखित पुष्टि भेजनी होगी। उसके बाद, कार्डधारक निम्नलिखित दस्तावेज बैंक को भेजेगा:
- किसी अधिकारी द्वारा विहित रूप से स्वीकार की गई प्राथमिकी रिपोर्ट
- खो जाने/विवादित लेनदेनोंके विवरण वाला पत्र
- कार्डधारक से क्षतिपूर्ति पत्र
- अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन विवाद के मामले में पासपोर्ट की प्रतियाँ
- बैंक द्वारा अपेक्षित और बैंक की संतुष्टि के अनुसार अन्य सभी दस्तावेज।
- बैंक स्वयं अपनी लागत पर, भौगोलिक सीमा के भीतर और नियमों एवं शर्तों तथा सीमा, पॉलिसी में विशेष रूप से निर्धारित अनुसार, के अधीनखोए/चोरी हुए कार्ड के लिए बीमा पॉलिसी लेगा।

अन्य

- मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सत्य है। मैं/हम, कार्डधारक एतद्वारा बैंक को क्रेडिट सत्यापन या संदर्भ जांच, उसके हितों की सुरक्षा, आदि के उद्देश्य से किसी भी समय भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर अधिकारियों, कानून प्रवर्तन प्राधिकरण, न्यायाधिकरणों, न्यायालयों, अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो, वित्तीय संस्थाओं या किसी अन्य पक्ष को कार्डधारक/इस करार और/या किन्हीं अन्य करारों से संबंधित या कार्डधारक द्वारा चूक किए जाने पर सभी/कोई भी जानकारी/दस्तावेजों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम अनुबंध की गोपनीयता और गुप्त जानकारी के विशेषाधिकार का त्याग करता/करते हूँ/हैं।
- कार्डधारक एतद्वारा सहमत है कि कार्डधारक द्वारा आवेदन में या अन्यथा प्रस्तुत की गई जानकारी का उपयोग बैंक द्वारा समय-समय पर शेष अंतरण, समीकृत मासिक किस्त पेशकश, नकदी से संबंधित पेशकश, बीमा उत्पादों आदि सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, कार्ड से संबंधित पेशकश बेचने

के लिए विपणन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक इस जानकारी का उपयोग समय-समय पर यथा-लागू प्रकटीकरण मानदंडों के अनुसार बैंक के अन्य उत्पादों के विपणन के लिए कर सकता है।

- बैंक कार्डधारक द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग टेलीमार्केटिंग चैनलों/कॉल्स या डायरेक्ट मेल या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले संचार के किसी अन्य चैनल के माध्यम से अपने उत्पादों के विपणन के लिए भी कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्डधारक(कों) को असुविधा न हो, बैंक 'झू-नॉट-कॉल' रजिस्टर रखता है और यदि कार्डधारक किसी विपणन पेशकश के लिए फोन प्राप्त करना नहीं चाहता/चाहते है/हैं, तो वह/वे बैंक को 'झू-नॉट-कॉल' रजिस्टर में अपने उक्त संपर्क नंबरों के सूचीकरण के लिए सूचित कर सकता/सकते है/हैं।
- कार्डधारक स्वीकार करता है कि, व्यापार प्रथाओं और लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किसी मौजूदा या भावी क्रेडिट ब्यूरो के साथ कार्डधारक की जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत है। कार्डधारक और भी स्वीकार करता है कि बैंक कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना ऐसी जानकारी साझा करने का हकदार है, और ऐसी जानकारी कार्डधारक द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक निष्पादन/चूक से संबंधित हो सकती है।
- भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल) भारतीय वित्तीय प्रणाली की कार्यक्षमता और स्थिरता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंककी एक पहल है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करने के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों के अनुरूप है, जिससे कार्डधारक विभिन्न संस्थाओं से बेहतर ऋण शर्तों का लाभ उठा सकें।
- इस पहल में भाग लेने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को कार्डधारकों का डेटा सिबिल के साथ साझा करना आवश्यक है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक कार्डधारकों को सूचित करना चाहता है कि इंडसइंड बैंक उनके साथ कार्डधारकों के खाते से संबंधित डेटा सिबिल को रिपोर्ट करेगा। यह डेटा अपने सभी कार्डधारकों के लिए नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा और बैंक इस मामले में कार्डधारक(कों) को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता है।
- को-ब्रांडिंग व्यवस्था के अंतर्गत को-ब्रांड पार्टनर के साथ राजस्व/शुल्क साझा किया जा सकता है।